नर्सरी निर्देश-09

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन,मध्य प्रदेश भोपाल,
ई-मेल nurseryhorticulture@gmail.com,
nursery.c1@mp.gov.in

क्रमांक/उ./नर्सरी/नर्सरी-निर्देश/407/2023-24/ 6847 **भोपाल, दिनांक-** 27.10.202

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला/प्रक्षेत्र/प्रमुख उद्यान........समस्त।

विषय:- नर्सरी तकनीकी से संबंधित वीडियों तैयार करने बावत।

----000----

उद्यानिकी विकास का आधार है, नर्सरी। नर्सरियों के द्वारा गुणवत्ता युक्त, रोग मुक्त, ओजस्वी एवं किस्म के अनुरूप पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति होगी, तो उद्यानिकी का स्वरूप, उपज की मात्रा एवं गुणवत्ता नि: संदेह श्रेष्ठ तथा अधिक होगी। फल स्वरूप कृषकों की आर्थिक समृध्दि एवं प्रदेश तथा देश की प्रगति होगी।

गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री के लिए नर्सरी तकनीकी को व्यवहारिक रूप से करना तथा सैध्दांतिक रूप से समझना आवश्यक है। इस उद्देश्य को केंद्रित करते हुये हमारी नर्सरियों पर कार्यरत अनुभवी प्रभारी अधिकारियों, मालियों एवं स्थाई कर्मियों की विशेषज्ञताओं का लाभ जन-जन तक पंहुचाना चाहते है। इसके लिए आप अपने अधिनस्थ नर्सरियों पर कार्यरत ऐसे ही अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा नर्सरी तकनीकी जैसे- बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलम तैयार करना, गूटी बांधना, क्यांरियां तैयार करना, थाले बनाना, कटाई-छाटाई, बीजों की बुआई, आदि कार्यो पर सजीव वीडियों 5-10 मिनट की बनाऐं। एक वीडियों में एक ही विषय लेकर जानकारी दी जावे।

विडियों तैयार करते समय गुणवत्ता युक्त विडियों/फोटोग्राफी अच्छी आवाज (Sound) तकनीकी संबंधित सावधानियां, विफलता के संभावित कारण तथा सफलता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये ध्यान रखने योग्य बिंदुओं का उल्लेख करें। उपयुक्त समय/मौखिक, सामग्री की गुणवत्ता, उपलब्धता इत्यादि का विवरण भी दिया जावे। इसके संबंध में संभागीय अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

अत: आप अपने अधिनस्त नर्सरियों पर कम से कम 05-05 वीडियों तैयार कर यथाशीघ्र संचालनालय को दिनांक 30.10.2023 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन जिले में उपलब्ध आवंटन के अनुरूप किया जावे, इस हेतु प्रथक से आवंटन प्रदाय नहीं किया जावेगा

संचालक
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/उ./नर्सरी/नर्सरी-निर्देश/407/2023-24/ 6848 **भोपाल, दिनांक-** 27.10.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर जिला.......................समस्त।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत............समस्त।
4. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग ....समस्त।

सहायक संचालक उद्यान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
म.प्र. भोपाल